[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना
सं. 28/2023-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 31 जुलाई, 2023

का.आ. ....(अ)—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2023 (2023 का 8) की धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, -

(क) तारीख 1 अक्तूबर, 2023 को, उस तारीख के रुप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 137 से धारा 162 तक (धारा 149 से धारा 154 के सिवाय) के उपबंध प्रवर्त्त होंगे;

(ख) तारीख 1 अगस्त, 2023 को, उस तारीख के रुप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 149 से धारा 154 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

(आलोक कुमार)
निदेशक